लखनऊ: रीयल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी के मालिकों पर ED ने PMLA के तहत दर्ज किया केस

Smart News Team, Last updated: 29/01/2021 08:25 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने निवेशकों के साथ ठगी की आरोपी रीयल एस्टेट कंपनी 'मेसर्स शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड' और उसके तीनों प्रबंध निदेशकों (एमडी) के खिलाफ प्रिवेंसन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

Scanned with CamScanner

लखनऊ. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निवेशकों के साथ ठगी की आरोपी रीयल एस्टेट कंपनी 'मेसर्स शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड' और उसके तीनों प्रबंध निदेशकों (एमडी) समेत छह नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

मुकदमा प्रिवेंसन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट(पीएमएलए) 2002 के तहत दर्ज किया गया है. कंपनी के प्रबंध निदेशकों पर देश के बहार अवैध तरीके से 36 करोड़ 54 लाख भेजने का भी आरोप है. बता दें कि ईडी के लखनऊ जोन कार्यालय ने रीयल एस्टेट कंपनी 'मेसर्स शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड' और उसके तीनों प्रबंध निदेशकों (एमडी) समेत छह नामजद आरोपियों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया है.

Scanned with CamScanner

UP के इन तीन शहरों में घर खरीदना है सपना तो हो जाएं सावधान, जमकर हो रही धोखाधड़ी

कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ लखनऊ और प्रयागराज जिले में दर्ज 226 मुकदमों को आधार बनाया गया है. बता दें कि मार्च 2020 में करोड़ो की ठगी मामले में 'मेसर्स शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड' के प्रेसीडेंट ज्ञाम प्रकाश उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया गया था. इस दौरान इंस्पेक्टर प्रमेंद्र कुमार सिंह ने मीडियो को बताया था कि ज्ञान के खिलाफ गोमतीनगर थाने में 22 मुकदमें दर्ज हैं.

Scanned with CamScanner